नाबार्ड

संदर्भ. सं.राबैं.डीओआर/एलटी नीति/पीपीएस-9/116134-116164/2025-26 14 नवंबर 2025

परिपत्र सं. 246 /डीओआर - 49/2025

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी लघु वित्त बैंक

महोदया/ प्रिय महोदय

नाबार्ड द्वारा लघु वित्त बैंकों को अल्पावधि पुनर्वित्त प्रदान करना –
वर्ष 2025-26 के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश आम तौर पर इस पत्र के साथ संलग्न अनुबंध I में दिए गए पात्रता मानदंडों पर आधारित हैं.

2. नाबार्ड, नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 21(1) के साथ पठित धारा 21(4) के अंतर्गत, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को 12 माह से अनधिक अल्पावधि ऋणों के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान करेगा. यह पुनर्वित्त सहायता, आवेदन की तिथि तक लघु वित्त बैंकों के खातों में बकाया रहने वाले पात्र अल्पावधि ऋणों के 80% की सीमा तक होगी. अल्पावधि पुनर्वित्त की न्यूनतम अवरुद्धता-अवधि *(लॉक-इन पीरियड)* 30 दिन की होगी, जिसके बाद लघु वित्त बैंकों द्वारा बिना किसी दंडात्मक प्रभार के चुकौती की जा सकेगी.

3. अल्पावधि पुनर्वित्त के लिए पात्र प्रयोजनों में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, कृषतीर क्षेत्र जिनमें कारीगर, बुनकर, हस्तशिल्प, कृषि उत्पादों, कृषि निविष्टियों, कृषीतर उत्पादों का विपणन, वास्तविक व्यापारिक गतिविधियाँ इत्यादि शामिल हैं, के लिए अल्पावधि/ कार्यशील पूँजीगत ऋण शामिल है.

4. लघु वित्त बैंक अल्पावधि पुनर्वित्त की मंजूरी के लिए संलग्न (अनुबंध-II) प्रारूप के अनुसार अपने आवेदन नाबार्ड के प्रधान कार्यालय को, साथ ही जहाँ लघु वित्त बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है वहाँ के नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को एक प्रति पृष्ठांकित करने की व्यवस्था करें.

5. कृपया इस परिपत्र की पावती दें.

भवदीय

KANIYUR SUNDARARAJAN MAHESH
Signed by KANIYUR SUNDARARAJAN MAHESH
Date: 2025.11.17 15:26:20

(डॉ. के एस महेश)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न : यथोपरि

अनुबंध - I

लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को अल्पावधि पुनर्वित्त के लिए सामान्य निबंधन और शर्तें -

1. प्रस्तावना

नाबार्ड, नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 21(4) के साथ पठित धारा 21(1) के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं को अल्पावधि पुनर्वित्त प्रदान करता आ रहा है, ताकि बुनियादी स्तर पर अल्पावधि ऋण प्रदान करने हेतु उनके संसाधनों की अनुपूर्ति की जा सके.

2. उद्देश्य

अल्पावधि पुनर्वित्त प्रदान करने का उद्देश्य निम्नलिखित के लिए पर्याप्त और सामयिक ऋण उपलब्ध कराना है:

- कृषि परिचालनों या फसलों का विपणन के लिए, या
- कृषि अथवा ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक निविष्टियों के विपणन और वितरण के लिए, या
- कृषि अथवा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में या उनके संवर्धन के लिए कोई अन्य गतिविधि के लिए, या
- वास्तविक व्यावसायिक अथवा व्यापारिक लेनदेनों के लिए, या
- कारीगरों, या लघु उद्योगो, अत्यंत लघु और विकेंद्रित क्षेत्र के उद्योगों, कुटीर और ग्रामोद्योगों, या हस्तशिल्पों और अन्य ग्रामीण शिल्पों के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की उत्पादन या विपणन गतिविधियों के लिए.

3. निभाव की प्रकृति

लघु वित्त बैंकों को ऊपर बताए गए विभिन्न उद्देश्यों के लिए पुनर्वित्त सहायता उनके संवितरण के संबंध में प्रदान की जाती है. बैंकों से यह अपेक्षित होता है कि वे उधार लेने वाली इकाई की कार्यशील पूँजी/ अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं का वास्तविक रूप में मूल्यांकन करें. लघु वित्त बैंक एक आहरण आवेदन-पत्र (अनुबंध II) के आधार पर नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें उन विभिन्न प्रयोजनों को दर्शाया जाना चाहिए जिनके लिए पुनर्वित्त का दावा किया गया है और ऋण राशि संवितरित की गई है.

4. पात्रता मानदंड

4.1 पुनर्वित्त के आहरण हेतु पात्रता मानदंडों की समय समय पर समीक्षा की जाती है. वर्तमान में निर्धारित पात्रता मानदंड निम्नानुसार है:

क) 15% के न्यूनतम सीआरएआर मानदंड का अनुपालन करना (समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट)

ख) निवल अनर्जक आस्तियाँ बकाया ऋणों और अग्रिमों के 5% से अधिक न हो. एनपीए की स्थिति को समग्र रूप से बैंक के लिए गिना जाएगा.

2. बैंक को निवल लाभ में होना चाहिए.

4.2 पात्रता मानदंड और जोखिम आकलन

30 जून 2025 तक पुनर्वित्त की स्वीकृति के लिए पात्रता मानदंड लघु वित्त बैंक की 31.03.2024 या 31.03.2025 तक की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति पर आधारित होंगे (यदि 31.03.2025 तक की लेखापरीक्षित स्थिति उपलब्ध हो तो). 1 जुलाई से, पात्रता मानदंड 31.03.2025 तक की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति पर आधारित होंगे.

01.07.2025 को या उसके बाद, पुनर्वित्त की स्वीकृति/ आहरण की अनुमति केवल उन्हीं बैंकों को दी जाएगी, जिन्होंने 2024-25 के लिए लेखापरीक्षा पूरी कर ली है और नाबार्ड को संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है.

4.3 वर्ष 2025-26 के दौरान वित्तीय मापदंडों में होने वाले किसी भी परविर्तन पर नवीनतम उपलब्ध तिमाही वित्तीय परिणामों और कार्यशील सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर ही विचार किया जाएगा.

5. पात्र प्रयोजन

जिन प्रयोजनों के लिए अल्पावधि (एसटी) पुनर्वित्त स्वीकृत किया जाता है, उनमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, कारीगरों, बुनकरों, हस्तशिल्पों, कृषि उपज, कृषि निविष्टियों, कृषीतर उत्पादों के विपणन, वास्तविक व्यापारिक गतिविधियों आदि सहित गैर-कृषि क्षेत्र के लिए अल्पावधि - कार्यशील पूँजीगत ऋण शामिल होंगे. पुनर्वित्त के लिए पात्र ऋण 12 माह या उससे कम अवधि के लिए दिया हुआ होना चाहिए और आहरण आवेदन-पत्र की तिथि को बैंक की बहियों में बकाया होना चाहिए तथा उसे अनतिदेय और भारमुक्त होना चाहिए.

6. नाबार्ड से पुनर्वित्त की मात्रा

नाबार्ड आवेदन की तिथि तक बकाया पात्र अल्पावधि ऋणों के 80% तक पुनर्वित्त प्रदान करेगा. विचार करने के लिए बकाया ऋण कम से कम 3 माह के लिए होना चाहिए और उसकी प्रत्येक तिमाही के बाद भरपाई की जाएगी.

7. प्रतिभूति

पुनर्वित्त या किसी अन्य माध्यम से लिए गए ऋण और अग्रिमों के लिए प्रतिभूति को नाबार्ड द्वारा सामान्य पुनर्वित्त करार (जीआरए)/ मंजूरी पत्र (पत्रों) में विनिर्दिष्ट किया जाएगा. इसके अलावा, लघु वित्त बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, जहाँ उसका चालू खाता मेंटेन किया जाता है, से नाबार्ड के पक्ष में एक अधिदेश प्रस्तुत करना होगा. इसके

अतिरिक्त लघु वित्त बैंक को प्रत्येक आहरण के समय नाबार्ड के पक्ष में एक मांग वचन-पत्र निष्पादित करना होगा.

बोर्ड का संकल्प या बोर्ड की उप-समिति का संकल्प, जिसमें लघु वित्त बैंक की उधार लेने की शक्तियाँ, नाबार्ड से उधार लेने का प्राधिकार, नमूना हस्ताक्षरों के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची और यह पुष्टि करने वाला प्रमाण-पत्र कि नाबार्ड से लिया गया वर्तमान उधार एजेंसी की समग्र उधार सीमा के भीतर है, को अनुलग्नक III में निर्धारित प्रारूप में नाबार्ड को प्रस्तुत करना होगा.

8. चुकौती अवधि

संवितरित अल्पावधि ऋण, संवितरण की तिथि से 12 माह के भीतर चुकाने योग्य होंगे. ब्याज प्रति वर्ष 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्तूबर और 1 जनवरी को त्रैमासिक अंतरालों पर, या संपूर्ण मूल राशि की चुकौती पर देय होगा.

9. ब्याज की दर

9.1 **पुनर्वित्त पर ब्याज:** पुनर्वित्त पर ब्याज की दरें और जोखिम प्रीमियम का निर्धारण नाबार्ड द्वारा मौजूदा बाजार दर, जोखिम बोध इत्यादि के आधार पर किया जाएगा और यह समय समय पर संशोधन के अधीन होगा.

9.2 **दण्डात्मक ब्याज:** चूक की स्थिति में, जिस ब्याज दर पर पुनर्वित्त संवितरित किया गया था, उससे 2% प्रति वर्ष अधिक ब्याज दर से चूक की राशि पर और चूक बनी रहने की पूरी अवधि के लिए दंडात्मक प्रभार प्रभारित किए जाएँगे.

9.3 **चुकौती हेतु सूचना:**

नाबार्ड द्वारा 30 दिनों की अवरुद्धता-अवधि *(लॉक-इन पीरियड)* के बाद और 12 माह की अवधि की समाप्ति से पहले चुकौतीयाँ (आंशिक या पूर्ण) तीन दिन की नोटिस अवधि के साथ स्वीकार की जा सकती हैं. नोटिस अवधि, चुकौती की तिथि को छोड़कर, तीन दिन की अवधि की होगी. सभी चुकौतियों को बकाया ऋणों/अग्रिमों में संवितरण के कालानुक्रमिक क्रम में, अर्थात् **'पहले बाहर पहले अंदर'** के अनुसार प्रभाजित किया जाएगा.

10. परिचालनात्मक अनुशासन

10.1 अनतिदेय रक्षा राशि (एनओडीसी)

क. अल्पावधि सीमा के लिए पुनर्वित्त आहरण की अनुमति केवल पात्र प्रयोजनों के उन अल्पावधि ऋण पोर्टफोलियो के समक्ष दी जाएगी, जो भार-रहित और अनतिदेय होंगे. लघु वित्त बैंक कुल एनओडीसी पर, यानि क्षेत्र के सभी प्रयोजनों को साथ मिलाकर, आहरण कर सकते हैं.

ख. लघु वित्त बैंकों द्वारा आहरण की अनुमति कुल एनओडीसी की उपलब्धता के अधीन होगी. इस प्रयोजन के लिए, लघु वित्त बैंकों को मासिक एनओडीसी विवरण नाबार्ड के प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें निर्धारित प्रारूप (अनुबंध IV या समय समय पर यथा संशोधित) में वे प्रयोजन इंगित हों, और जो परवर्ती माह की 20वीं तारीख तक पहुँच जाए. उक्त एनओडीसी कार्यशील सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् सत्यापित होनी चाहिए.

ग. प्रत्येक आहरण के समय बैंक द्वारा आहरण की तिथि पर कुल एनओडीसी की उपलब्धता के संबंध में निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

घ. यह सुनिश्चित किया जाए कि कुल बकाया उपलब्ध कुल एनओडीसी से अधिक न हो. एनओडीसी में केवल पात्र प्रयोजन ही शामिल किए जाने चाहिए.

10.2 एनओडीसी में कमी पर दंडात्मक प्रभार:

लघु वित्त बैंकों को पर्याप्त एनओडीसी बनाकर रखना होगा. एनओडीसी में कमी के मामले में, लघु वित्त बैंकों को ऐसी कमी घटित होने की तिथि से एक माह के भीतर एनओडीसी में कमी को पूरा करना होगा. एनओडीसी के कमी पर कमी की अवधि, यानि उस तिथि तक जब कमी की राशि को नियमित नहीं कर दिया जाता, तब तक एनओडीसी की कमी पर 1% प्रति वर्ष (अतिरिक्त लागू कर) की दर से दंडात्मक प्रभार लगाया जाएगा.

10.3 बकाया ऋणों में मूलधन और ब्याज का पृथक्करण:

लघु वित्त बैंक, नाबार्ड से पुनर्वित्त सहायता हेतु पात्रता प्राप्त करने के लिए अपने आहरण आवेदनों में बकाया राशि से ब्याज घटक को (अतिदेय ब्याज सहित) हटा सकते हैं और मूल ऋणों को अलग से रिपोर्ट कर सकते हैं.

इसके अलावा, तिमाही एनओडीसी विवरणों में ऋणों (जारी, वसूल, बकाया और अतिदेय) के केवल मूल अंशों को रिपोर्ट किया जाए.

10.4 अधिक आहरण

ऋण संवितरण के या एनओडीसी विवरणों में गलत डेटा रिपोर्ट करने के कारण पुनर्वित्त के लिए अनुमोदित मात्रा से अधिक आहरण प्राप्त करने के मामलों को नाबार्ड गंभीरता से लेगा और बैंक द्वारा प्राप्त अतिरिक्त पुनर्वित्त को 1% प्रति वर्ष (अतिरक्ति लागू कर) के दण्डात्मक ब्याज सहित 3 दिनों के अंदर वसूल करेगा.

11. चूकों का समाशोधन

जो लघुवित्त बैंक नाबार्ड के साथ निर्धारित देय तिथियों पर मूलधन, ब्याज का भुगतान और/ या अन्य किसी देय राशि की चुकौती की अपने प्रतिबद्धता निभाने में असमर्थ हो जाता है, उन्हें नाबार्ड द्वारा किसी भी पुनर्वित्त सुविधा के लिए पात्र **नहीं** माना जाएगा जब तक की वह संबंधित चूक का समाशोधन न कर लें.

नाबार्ड

12. अनुप्रवर्तन

पुनर्वित्त के निबंधनों और शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड को सत्यापन करने का अधिकार होगा.

13. निरीक्षण का अधिकार

नाबार्ड लघु वित्त बैंक की खाता बहियों का निरीक्षण करने/ करवाने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है.

14. विशेष लेखापरीक्षा करवाने का अधिकार

नाबार्ड को लघु वित्त बैंक की खाता बहियों और अन्य प्रासंगिक सामग्रियों का स्वयं या किसी अन्य एजेंसी द्वारा विशेष लेखापरीक्षा करने या करवाने का अधिकार होगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें लागू नियमों और विनियमों के अनुसार रखा जा रहा है और बैंक द्वारा पुनर्वित्त के निबंधनों और शर्तों का पालन किया जा रहा है.

****

अनुबंध ANNEXURE II

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 21(4) के साथ पठित धारा 21(1) के अंतर्गत वर्ष 20.....20..... के लिए अल्पावधि पुनर्वित्त हेतु आवेदन

APPLICATION FOR SHORT TERM REFINANCE UNDER SECTION 21(1) READ WITH SECTION 21(4) OF THE NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT ACT, 1981 FOR THE YEAR 20…..20…

मुख्य महाप्रबंधक/ प्रभारी अधिकारी
The Chief General Manager/ Officer-in-charge

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development

महोदय Dear Sir

वर्ष 20.....20..... के लिए अल्पावधि पुनर्वित्त की मंजूरी और राशि जारी करने हेतु आवेदन
Application for sanction and release of refinance under Short Term for the year 20...20…

हम एतदद्वारा वर्ष 20.....20..... (अप्रैल-मार्च) के लिए प्रासंगिक प्रयोजनों हेतु ऋणों और अग्रिमों के संवितरण के समक्ष नीचे दिए गए विवरण के अनुसार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 21(4) के साथ पठित धारा 21(1) के अंतर्गत ₹ लाख (रुपये लाख मात्र) की मंजूरी और राशि जारी करने के लिए आवेदन करते हैं. हम समय-समय पर उल्लिखित लघु वित्त बैंकों के लिए आपकी पुनर्वित्त योजना के निबंधनों और शर्तों का पालन करने की सहमति देते हैं.

We hereby apply for sanction and release of Rs. lakh (Rupees lakh only) under Section 21(1) read with Section 21(4) of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act 1981 as per details given below, against disbursement of loans and advances for relevant purposes for the year 20…..20…… (April-March). We agree to abide by the terms and conditions of your refinance scheme of the Small Finance Banks as mentioned from time to time.

क्रम. सं. Sr. No.	गतिविधि Activity	अधिकतम ऋण अवधि Maximum Loan period	राशि (₹ लाख में) Amount (Rs. lakh)
i.			
ii.			
iii.			

iv.			
v.			
	कुल Total		

2. हम समय समय पर नाबार्ड द्वारा आधार स्तर पर वित्तपोषण और पुनर्वित्त हेतु निर्धारित सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने की सहमति देते हैं.

   We agree to abide by all the terms and conditions of NABARD for financing at ground level and that of refinance stipulated from time to time.

3. हम राशि जारी किए जाने की तिथि से 12 माह के भीतर पुनर्वित्त की चुकौती करने की सहमति देते हैं.

   We agree to repay the refinance within 12 months from the date of release.

4. हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि उधारकर्ताओं को किया गया भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया, सिवाय उन बैंकों के जो एनईएफ़टी/ आरटीजीएस मोड पर उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें चेक जारी किए गए हैं.

   We also certify that the payment made to the borrowers is done electronically except when cheques are drawn on banks which are not on NEFT/RTGS mode.

5. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया आईएफ़एससी सं. …………….. एमआईसीआर कोड सं. ………….. के साथ ……………………. बैंक की …………… शाखा में हमारे खाता सं. ………….. में पुनर्वित्त जारी करें.

   We request you to release the refinance to our account No………….. with …………… branch of the bank ……………………with IFSC Number………………..MICR Code No. …………..

6. यदि उपर्युक्त खाते में राशि जमा करने में कोई त्रुटि आती है, तो उसके लिए हम उत्तरदायी होंगे.

   In case of any error in credit to the account given above, we will be accountable for the same.

7. हम माँग के अनुसार नाबार्ड के खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से राशि की चुकौती करने का नाबार्ड को वचन देते हैं.

   We undertake to repay the amount to NABARD as per demand to NABARD's account through electronic mode.

8. हम यह प्रमाणित करते हैं कि ऋण की राशि पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज की दरें भारतीय रिजर्व बैंक/ नाबार्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुरूप होंगी.

   We certify that the rates of interest charged on the loan amount conform to the rate wherever stipulated by RBI/NABARD from time to time.

9. हम इसकी सहमति देते हैं कि हमारे अभिलेखों और घटकों की जाँच के पश्चात यदि नाबार्ड इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि खातों के समक्ष बैंक ऋण का संवितरण समय-समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है, तो सामान्य पुनर्वित्त करार के अनुसार नाबार्ड के पास उस खाते से संबंध में संवितरित समस्त पुनर्वित्त को वापस लेने का अधिकार होगा.

   We agree that if on verification of our records and of our constituents, NABARD concludes that the accounts against which the disbursements of bank loan does not conform to the guidelines laid down by it from time to time. NABARD will have the right to recall the entire refinance disbursed in respect of such account, as per General Refinance Agreement.

10. इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज़, वित्तीय विवरणियाँ और अन्य विवरण प्रस्तुत किए गए हैं.

    The under-mentioned documents, financial statements and other particulars are furnished herewith.

    i. वार्षिक रिपोर्ट 20.......-20......./ 31 मार्च, 20....... तक का तुलन पत्र.
       Annual Report 20……-20……/ Balance sheet as on 31 March, 20…….

    ii. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से पहले के अंतिम शुक्रवार या माह के अंत तक का तल-पट.
        Trial balance as on the last Friday or as at the end of the month, preceding the date of submission of the application.

    iii. नाबार्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में वित्तीय निभाव प्राप्त करने हेतु बैंक के अधिकारियों को प्राधिकृत करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की प्रमाणित प्रति. (अनुबंध III में दिए गए प्रारूप के अनुसार).
         Certified copy of the resolution of the Board of Directors authorizing the bank's officials to obtain financial accommodation from NABARD in the prescribed form (as per format-Annexure III)

भवदीय Yours faithfully

कृते और की ओर से For and on behalf of
वित्तपोषक बैंक The financing bank

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

Signature of the authorised officer And Designation

अनुलग्नक Enclosure:
तिथि और स्थान Date and Place:

अनुबंध ANNEXURE III

अल्पावधि (अन्य) – लघु वित्त बैंक ST (Others) – SFB

बोर्ड के संकल्प का प्रारूप FORMAT OF BOARD RESOLUTION

दिनांक .... को ……………............................ बैंक में आयोजित

निदेशक मंडल की बैठक में पारित संकल्प की प्रति

Copy of the resolution passed at the meeting of the Board of Director of

………………………………………………… Bank, held on ………………………………

यह संकल्प लिया गया कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋण और अग्रिम प्राप्त करने वाला बैंक लघु वित्त बैंकों के लिए अल्पावधि पुनर्वित्त योजना के उन प्रावधानों के अनुसरण में है, जो नाबार्ड द्वारा समय समय पर जारी किए गए अन्य दिशानिर्देशों के अधीन दिनांक ………………… के नाबार्ड के परिपत्र सं. ……………… में निहित पात्र गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए है.

Resolved that the bank to avail of loans and advances from the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), pursuant to and in accordance with the provisions of the Short Term Refinance scheme for Small Finance Banks for financing eligible activities, as contained in the NABARD's circular No…………………………… dated ……………………. subject to other guidelines issued by the NABARD from time to time.

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि जब तक और अन्यथा निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत न हो, तब तक अल्पावधि पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत नाबार्ड को बकाया उधारों की मूलधन राशि किसी भी समय पर ₹__________ (रुपये ______________________ मात्र) की राशि से अधिक नहीं होगी.

Resolved further that unless and otherwise authorized by the Board, the principal amount of the borrowings outstanding to NABARD under the short-term refinance scheme shall not exceed the sum of Rs.______________ (Rupees_____________________________) at any time.

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत नाबार्ड से उधार लेने की शक्ति एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को संयुक्ततः और/ या पृथक्तः प्रत्यायोजित की गई है.

Resolved further that the power to borrow from the NABARD under the said scheme be as is hereby delegated to the following officers jointly and/or severally.

……………………………………..

……………………………………..

नाम और पदनाम Name and Designation

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि उपर्युक्त अधिकारियों को संयुक्ततः और/ या पृथक्तः नाबार्ड के पक्ष में वचन पत्र, करार, घोषणाएँ, गारंटी या प्रतिभूति के विलेख, भारतीय रिजर्व बैंक को जारी किया जाने वाला अधिदेश, जो उसे हमारे बैंक के चालू खाते से डेबिट करने के लिए प्राधिकृत करता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उसके साथ किए गए करार के अनुसार सूचित की जा सकती है और ऐसे अन्य दस्तावेज जो उक्त योजना पर उधार के संबंध में नाबार्ड द्वारा अपेक्षित हो सकते हैं को निष्पादित करने और सामान्य रूप

से बैंक की ओर से ऐसे अन्य कार्य, कार्य और कार्यकलाप करने या करवाने, जो उक्त योजना के संबंध में नाबार्ड द्वारा अपेक्षित हो सकते हैं, के लिए प्राधिकृत किया जाता है.

Resolved further that the aforesaid officers be and are hereby authorised jointly and/or severally to execute in favour of the NABARD, promissory notes, agreements, declarations, deeds of guarantee or security, the mandate to be issued to the Reserve Bank of India authorizing it to debit our Bank's Current Account with it, with such as may be advised by the National Bank for Agriculture and Rural Development pursuant to the agreement made with it and such other documents as may be required by the NABARD pursuant in connection with the borrowings on the said scheme and generally to do or cause to be done on behalf of the Bank such other acts, deeds and things as may be required by the NABARD in connection with the said scheme.

/शुद्ध प्रति के रूप में सत्यापित Certified to be true copy/

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the authorised official

नाम और पदनाम Name and Designation

लघु वित्त बैंक की सील Seal of the SFB

वचन पत्रों का प्रारूप Proforma of Promissory Notes

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पक्ष में लघु वित्त बैंक द्वारा निष्पादन किए जाने हेतु माँग वचन-पत्र

Demand Promissory Note to be executed by the Small Finance Bank in favour of the National Bank for Agriculture and Rural Development

₹ Rs. ________ स्थान Place:

दिनांक Date:

माँग किए जाने पर ________________ लघु वित्त बैंक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को ₹ _______(रुपये _________ ______________________________ मात्र) की राशि ______% ब्याज दर या प्राप्त मूल्य के लिए नाबार्ड द्वारा प्रति वर्ष 01 जुलाई/ 01 अक्तूबर/ 01 जनवरी/ 01 अप्रैल के तिमाही अंतरालों पर यथा निर्धारित दर पर ब्याज सहित भुगतान करने अथवा भुगतान करने के आदेश देने का वचन देता है.

ON DEMAND the _____________Small Finance Bank promises to pay to the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) or order the sum of Rs._______ (Rupees ________ ___only) with interest at ____% or as prescribed by NABARD per annum with quarterly rests on 01 July/ 01 October /01 January/ 01 April for value received.

20 ____ के _____ वें दिन __________ में दिनांकित

Dated at ____this _________ day of _____20___

कृते और की आरे से For and on behalf of

लघुवित्त बैंक SFB

बैंक का सील Seal of the bank प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Authorized signatory

अनुबंध/Annexure IV

मासिक एनओडीसी/NODC for the month :

बैंक का नाम / Name of the Bank :

प्रयोजन/ Purpose	उप-प्रयोजन/ Sub-Purpose	माह के अंत में नाबार्ड से लिए गए उधार का बकाया/ O/s borrowing from NABARD	माह के अंत में मुद्रा/अन्य वित्तीय/संस्थाओं से लिए गए उधार का बकाया/ O/s borrowing from	माह के दौरान संवितरित ऋणों की राशि/ Amt. of Loans disb during the month	केवल मूलधन/PRINCIPAL ONLY माह के दौरान की गई वसूलियाँ/ Recoveries made during the month	केवल मूलधन/PRINCIPAL ONLY माह के दौरान बकाया ऋण/ Loans o/s at the end of the month	केवल मूलधन/PRINCIPAL ONLY उनमें से अतिदेय/ of which overdues	माह के अंत में एनओडीसी/NODC at the end of the month	नाबार्ड से लिए गए उधार पर एनओडीसी/NODC for borrowing from NABARD	बैंक का अपना अंशदान/ Banks' own involvement
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(7-8)	10=[9-(3+4)]	11=[7-(3+4)]
अल्पावधि-कृषि क्षेत्र ST-Farm Sector										
	उप-जोड़/Sub-Total									
अल्पावधि कृषीतर क्षेत्र / ST-Non Farm										
	उप-जोड़/ Sub-Total									

Signature with Seal of the Authorised Official of the Bank